the project experience of the entrepreneurs and the ability to run a project.

(c) With a view to provide faster assistance to small enterprises across the table as per their specific needs and requirements, NSIC has opened specialised centres named as 'Financial Services Centre' at Delhi, Bombay, Ahmedabad, Bangalore and Goa. At these Centres, NSIC provides assistance to small enterprises under its various schemes such as Bill Discounting, Raw Material, Export Development etc. across the table. Working capital finance may also be extended on selected basis to the viable and well managed small enterprises. The object of launching these schemes under the Financial Services is to provide faster assistance to small enterprises which are financially sound and can provide adequate security by simplyfying the procedures and reducing the time lag involved in processing of the applications.

(d) According to NSIC, they have not entered into MOU with SBI or others for equity fund assstance.

गुजरात में उद्योगों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों के प्रस्ताव

2362. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार को निजी उद्यमियों से गुजरात के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका जिले-वार ब्यौरा क्या है और कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन गुजरात के विभिन्न भागों में उद्योग स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों से निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए थे :—

अवधि	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1990-91	135
1991-92	118
1992-93	126
1993-94	98

उपर्युक्त आवेदन सूरत, बड़ोदा/बड़ोदरा अंकलेश्वर भड़ूच, वापी, वलसाड, मेहसाना, पंचमहल, गांधीनगर, सौराष्ट्र इत्यादि जैसे विभिन्न जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए थे । ये आवेदन रसायन, औषध, कपड़ा, वनस्पति तेल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, चीनी, खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग, मापविद्या, चमड़ा, कागज और लुग्दी इत्यादि जैसे अनुसूचित उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न मदों के विनिर्माण के लिए थे ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए सभी उपाय किये जाते हैं । आवेदनों का वास्तविक निपटान प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति/विशिष्ट मामलों में इनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा पूरी सूचना देने पर भी निर्भर करता है ।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2363. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :